LOK SABHA ELECTION 2019

भारत निर्वाचन आयोग Election Commission of India

DESH KA MAHA त्योहार

Get Ready for Lok Sabha Election 2019

Documents that can be used as Proof of Identity at Polling Station

1. Voter ID Card (EPIC)
2. Passport
3. Driving License
4. Service Identity Card — Issued to employees by Central/State Govt./PSUs/Public Limited Companies
5. Passbook — Issued by Bank/Post Office with photo
6. Pan Card
7. Smart Card — Issued under the scheme of Ministry of Labour
8. MNREGA Job Card
9. Health Insurance Smart Card — Issued under the scheme of Ministry of Labour
10. Pension Document — With photo
11. Official Identity Card — Issued to MPs/MLAs/MLCs
12. Aadhar Card

#GoVerify

NO VOTER TO BE LEFT BEHIND

Please Note: Photo Voter Slip can be used for guidance but not as an Identity Proof at Polling Station.

Election Commission of India
www.eci.gov.in

Voter Helpline 1950

www.nvsp.in

Download Helpline App

मतदाताओं के लिए

जानकारी एवं सहायता पुस्तिका

लोक सभा चुनाव 2019

चुनाव तिथि 00 / 00 / 0000

समय 00 / 00 / 00

सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (स्वीप)

भारत निर्वाचन आयोग

आप सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकरण करवा सकते हैं, यदि आप :

- भारत के नागरिक हैं।

- 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष के हो चुके हैं।

- जहां आप पंजीकृत होना चाहते हैं, उस निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य निवासी हैं।

- मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

मतदाता सूची में कौन पंजीकृत नहीं हो सकता :

- जो भारत का नागरिक नहीं है।

- जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो और सक्षम न्यायालय द्वारा विक्षिप्त घोषित किया गया हो।

- जो भ्रष्ट आचरण और अन्य चुनाव अपराधों के लिए विधि के अंतर्गत मतदान करने के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया गया हो।

"कोई मतदाता न छूटे"

EPIC – मतदाता फोटो पहचान पत्र अथवा वोटर कार्ड

फॉर्म 6 जमा करने के बाद, BLO आपके दस्तावेजों की पुष्टि के लिए आपके पते पर आएंगे।

अगर आप का आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो आपका मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) आपका BLO दे जायेंगे या आपको मतदाता केंद्र बुलाया जायेगा जहां आपको EPIC दिया जायेगा।

अपना बहुमूल्य मत कैसे डालें?

याद रखें- अगर आपका नाम मतदाता सूची मे नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते।

मतदाता सूची मे अपने नाम की जांच करें, मतदाता सूची आपके राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की वेबसाइट एवं www.nvsp.in पर उपलब्ध है।

मतदाता सूची ERO के कार्यालय में भी उपलब्ध है।

मतदान केन्द्र के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा या किसी अन्य उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है।

चुनाव के दिन छुट्टी दी जाती है ताकि प्रत्येक मतदाता अपना वोट डाल सकें।

कतार में खड़े हों, अपना पहचान दस्तावेज और मतदाता पर्ची तैयार रखें।

ई.वी.एम. और वीवीपैट के उपयोग से अपना वोट कैसे दें?

मतदाता हेतु महत्वपूर्ण सूचना

1. वोट करने के लिए आपका नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है। मतदाता सूची में नाम ढूंढने हेतु विकल्प :

वेबसाईट देखें www.nvsp.in	1950 पर SMS भेजें ECI space <वोटर कार्ड नंबर>	हेल्पलाईन पर फोन करें **1950**	डाउनलोड करें **वोटर हेल्पलाइन** एंड्रॉयड ऐप

2. अपना पोलिंग स्टेशन ढूढ़ें :

वेबसाईट देखें www.nvsp.in	1950 पर SMS भेजें ECIPS space <वोटर कार्ड नंबर>

3. अपने बी.एल.ओ. को जानें :

बी.एल.ओ. का नाम :

बी.एल.ओ. का मोबाईल नंम्बर :

1950 पर SMS भेजें : ECICONTACT space <वोटर कार्ड नंबर>

4. वोटर आई कार्ड (EPIC) ना होनें की स्थिति में वैकल्पिक दस्तावेज :

1. पासपोर्ट 2. ड्राइविंग लाइसेन्स 3. केन्द्र/राज्य सरकार/राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो सहित सेवा पहचान-पत्र	4. बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक 5. पैन कार्ड 6. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड 7. मनरेगा जॉब कार्ड	8. श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड 9. फोटो सहित पेंशन दस्तावेज	10. एम पी/एम एल ए/एम एल सी को जारी शासकीय पहचान-पत्र 11. आधार कार्ड

"कोई मतदाता न छूटे"

मतदान केंद्र पर उपलब्ध सुविधाएं

- रैंप, **व्हीलचेयर** और सहायताकर्मी उपलब्ध
- दृष्टि-बाधित मतदातों के लिए साथी का प्रावधान
- विकलांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरीयता
- ई. **वी.** एम. पर ब्रेल भाषा
- महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग कतार
- मतदान केंद्र में प्रत्येक पुरुष के बाद दो महिलाओं के अंदर जाने का प्रावधान
- निर्धारित जगहों पर केवल महिलाओं के लिए मत. दान केंद्र
- सभी मतदाताओं को फोटो वोटर स्लिप **उपलब्ध** कराना
- हर मतदान केंद्र पर सहायता बूथ
- प्राथमिक उपचार, पीने के पानी और शौचालय की **व्यवस्था**
- मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिए संकेत
- विकलांगजन मतदाताओं के लिए आने- जाने की सुविधा
- विकलांगजनों के लिए कुछ चुनिंदा जगहों पर सहायक मतदान केंद्र
- ब्रेल में मतदाता पहचान पत्र

मतदाता सूची में पंजीकरण कराएं या अपना नाम जाचें - www.nvsp.in पर

facebook.com/ECI

youtube.com/ECI

www.eci.gov.in

सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (स्वीप)
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड
नई दिल्ली - 110001
www.ecisveep.nic.in

1950 मतदाता हेल्पलाइन